



नई विश्व व्यवस्था के विविध प्रतिमान एवं 'बहुधा' दृष्टिकोण की समीक्षा

डॉ० अशोक कुमार सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान विभाग, कुँवर सिंह पी०जी० कॉलेज, बलिया (उ०प्र०), भारत

Received- 20.11.2018, Revised- 23.11.2018, Accepted - 26.12.2018 E-mail: ashok.singh.kspg@gmail.com

सारांश : सामूहिकता एवं सहयोग मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। इन्हीं सहज प्रवृत्तियों के कारण उसने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु एक संगठित प्राधिकार के बारे में सोचा। संगठित प्राधिकार पर उस जैसे अन्य व्यक्तियों ने अपनी वैचारिक सहमति दिखायी तथा एक संगठित प्राधिकार का विचार उन्हें आकर्षक लगा। इसी संगठित प्राधिकार की अवधारणा का प्रकटन राज्य की अवधारणा में विश्व के सामने आया। हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य की प्रवृत्ति एवं भूमिका का वर्णन करने के लिए सामाजिक समझौते की संकल्पना की और उसमें राज्य द्वारा अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व तथा अन्य संकल्पों का उल्लेख किया। इस संकल्पना ने आधुनिक विश्व में समझौते के द्वारा एक व्यवस्था निर्माण के तरीके का अविशकार किया।

कुंजीभूत शब्द-सामूहिकता, प्रवृत्ति, समस्याओं, समाधान, संगठित, प्राधिकार, वैचारिक, सहमति ।

मानव जाति के इतिहास में सातवीं एवं आठवीं सदी की मुस्लिम विजय, इसाई धर्मयुद्ध, यूरोप के सुधारवादी प्रोटेस्टेंट क्रांति के बाद धार्मिक युद्धों ने धर्म के आधार पर साम्राज्य निर्माण के दोष पर चिंतन करने को विवश किया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा एक संगठित प्राधिकार के रूप में सामने आयी। यह 1648 की वेस्टफालिया समझौते का परिणाम था, जिसने पवित्र रोमन साम्राज्य में तीस वर्षीय युद्ध तथा जर्मनी के एक क्षेत्र-वेस्टफालिया में स्पेन तथा डच गणराज्य के बीच अस्सी वर्ष के युद्ध को समाप्त किया। वेस्टफालिया समझौते की मुख्य विशेषताएँ थीं - संप्रभु राज्य की अवधारणा तथा शक्ति संतुलन की आवश्यकता।

वेस्टफालिया समझौते ने एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था की संकल्पना की थी। जिसमें संप्रभुयुक्त राज्य शक्ति संतुलन के आधार पर युद्धों को दूर रखकर एक शांतिपूर्ण व्यवस्था की ओर शुरुआत कर रहे थे। यह शांतिपूर्ण व्यवस्था तब भंग हो जाती है जब कोई राष्ट्र तुलनात्मक रूप से अत्यधिक सैन्य एवं आर्थिक ताकत प्राप्त कर लेता है क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र वर्तमान शक्ति वितरण से बहुत कम ही संतुष्ट होते हैं वे इस संतुलन को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा एक राष्ट्र अपने पड़ोसियों तथा अन्य लोगों के इरादों के प्रति भी निश्चित नही हो सकता है। इस स्थिति में एक ऐसे केन्द्रीय प्राधिकार का विचार, जो राष्ट्रों को नियंत्रित करे तथा उनकी एक दूसरे से रक्षा भी करे, आवश्यक हो जाता है। इस तरह के प्रयास में एक संगठित प्राधिकार को लेकर औपचारिक एवं अनौपचारिक ढंग से, व्यक्तिगत वा सामूहिक

रूप से विश्व व्यवस्था के कई प्रतिमान प्रस्तावित किये गये। इनमें एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, सभ्यताओं के बीच टकराव का प्रतिमान, बेरी बुजान का सुरक्षा सहयोग मॉडल इत्यादि हैं। रावर्ट जर्विस ने अपने लेख विश्व राजनीति का भविष्य : क्या यह भूत से मिलता जुलता होगा? में तर्क दिया की सामाजिक वैज्ञानिकों को अपने सीमित ज्ञान एवं जटिल सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उतावलेपन में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उनका मत है कि ऐसे कतिपय नियम या कानून हैं जो निर्विवाद हैं। यह बात एक ध्रुवीयता बनाम बहुध्रुवीयता के संदर्भ में लागू होती है जो विश्व व्यवस्था के स्वरूप को लेकर सुप्रसिद्ध बहस है। अलग-अलग विद्वानों एवं अंतरराष्ट्रीय संबन्ध के विशेषज्ञों ने इस संबन्ध में अपनी भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की है सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जा रहा है कि 1991 में शीत युद्ध के अंत के साथ ही द्विध्रुवीय विश्व का अंत हो गया है। इस बहस में जहाँ अमेरिकन विचारधारा एक ध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की वकालत करती है वहीं अफ्रो-एशियाई विशेषज्ञ एकध्रुवीय विश्वव्यवस्था का खण्डन करते हैं। उनका मत है कि विश्व न तो एक ध्रुवीय है और न ही बहुध्रुवीय है। बल्कि यह बहु-केन्द्रीय हो गया है जहाँ शक्ति के विविध आयामों (सैनिक, आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी एवं सामरिक) को ध्यान में रखते हुए उसका वितरण होता जा रहा है। इस बहुकेन्द्रीय व्यवस्था में चीन, भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया दक्षिण कोरिया, ब्राजील दक्षिण अफ्रीका आदि शामिल हैं।

वस्तुतः शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में अनेक तथा परस्पर



विरोधी अवधारणायें सामने आयीं। केनेथ वाल्ट्ज का मानना था कि शीतयुद्ध की परिस्थितियों में महाशक्तियों के बीच, किसी न किसी रूप में स्थिरता विद्यमान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा कहाँ से आने वाला है। शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान अस्थिरता ने कई अवधारणाओं को जन्म दिया। इनमें पहली अवधारणा फ्रैंसिस फूकोयामा के 'End of History' के रूप में सामने आयी। फूकोयामा का मानना था कि 'विचारधारात्मक विवादों का युग जो लम्बे समय से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था, अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही इतिहास के एक दौर की समाप्ति हो चुकी है। सोवियत संघ के बाद विश्व में केवल एक ही विचारधारा होगी—पूँजीवादी या उदारवादी विचारधारा।' जून, 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने अमेरिकी कांग्रेस को भेजे गये एक संदेश में कहा था कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है, आगे अमेरिका का ही शासन होगा तथा सम्पूर्ण विश्व को अमेरिकी दृष्टिकोण से ही कार्य करना होगा।

चार्ल्स क्राथमर ने विश्व व्यवस्था को एक ध्रुवीय बताया था। उन्होंने लिखा कि शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। भविष्य में केवल अमेरिका ही विश्व-व्यवस्था का निर्णायक होगा। इनका तर्क था कि —
1. जर्मनी और जापान अपनी आर्थिक तथा तकनीकी शक्ति को सैन्य शक्ति में परिवर्तित कर जायेंगे, इसमें संदेह है।
2. यूरोपीय संघ की धारणा भी एक भ्रम है। इनके बीच इतनी अधिक भिन्नता है कि वह संगठित होकर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होंगे।
3. पश्चिमी राष्ट्र अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार करते रहे हैं और स्वीकार करते रहेंगे।
4. अमेरिका अपनी सैनिक शक्ति, आर्थिक क्षमताओं संसाधनों तक पहुँच तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होगा।

हेनरी किंसियर ने 'शक्ति संतुलन की अवधारणा के अन्तर्गत विश्व-व्यवस्था को बहुध्रुवीय बताया था। इनका मानना था कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान, एक सीमा तक भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच संतुलन होगा। सिंगर ने विश्व को दो भागों में विभाजित किया था — 1. शांति का क्षेत्र, जिसे उन्होंने शांति, सम्पन्नता तथा लोकतंत्र का क्षेत्र कहा था। इसमें विश्व के 15 प्रतिशत राष्ट्र सम्मिलित होंगे— पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि। 2. अशांति का क्षेत्र जिसमें 85 प्रतिशत राष्ट्र सम्मिलित होंगे। इसमें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के राष्ट्र सम्मिलित होंगे जो तुलनात्मक रूप से गरीब, अत्यधिक जनसंख्या युक्त तथा अनियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था वाले हैं।

भारत के तरफ से रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक

'Footsteps into the Future (Free Press, New York, 1975)' में मानवीय आधार पर नयी विघ्न-व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इनका मानना था कि विश्व के देशों के बीच प्रभुत्व की लालसा और शोषण के रहते हुये स्थायी विश्व व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं है। इन्होंने स्थायी विश्व व्यवस्था के चार आधार बताये थे — अहिंसा, स्वायत्तता, न्याय और सहयोग। रजनी कोठारी का मानना था कि 1. विश्व के बड़े देशों को छोटे देशों को स्वायत्त मानना चाहिये। श्रीमती इंदिरा गांधी के 'Big Brothely Attitude' के कारण ही पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे सम्बन्धों की स्थापना नहीं हो सकी। 2. छोटे-बड़े देशों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। 3. विश्व के देशों को यह आभास होना चाहिये कि उनके आपसी सम्बन्ध न्याय की भावना पर आधारित हैं। 4. नयी विश्व व्यवस्था की पुनर्रचना के लिये अत्यधिक असमानता एवं निर्भरता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिये। 5. छोटे देशों को जनसंख्या कम करने तथा विकास करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीति विज्ञानी सैम्युअल पी. हटिंग्टन ने फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित अपने लेख लोनली सुपर पावर में स्पष्ट कहा है कि अमेरिका को अपने शक्ति एवं क्षमताओं की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक ध्रुवीय व्यवस्था के नेतृत्व का विचार त्याग देना चाहिए क्योंकि बहु ध्रुवीय व्यवस्था के भी लक्षण विकसित हो रहे हैं। इस व्यवस्था के पक्षधरों में रूस, चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका हैं। इनका मानना है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था हो जा समानता, राष्ट्रीय संप्रभुता एवं न्याय पर आधारित हो जिसमें सभी विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक निवेश एवं सामरिक हितों को ध्यान में रखा जाय।

शीत युद्ध के पश्चात् के परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में सैम्युअल पी. हटिंग्टन ने यह माना कि विश्व अब एक नये दौर में प्रवेश कर चुका है। इस नये विश्व में संघर्ष का मूल स्रोत मुख्य रूप से वैचारिक या आर्थिक नहीं होगा, मानव जाति में बड़ा विभाजन एवं संघर्ष का प्रभावी स्रोत सांस्कृतिक होगा। इसे 'सभ्यताओं के टकराव' प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। सैम्युअल पी हटिंग्टन ने *Clashes of Civilization* की अवधारणा के अन्तर्गत विचार व्यक्त किया था कि ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रों तत्पश्चात् विचारधाराओं के बीच संघर्ष की स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब सभ्यताओं के बीच संघर्ष होगा। आने वाले समय में इसाई एवं इस्लामिक सभ्यता के बीच संघर्ष होगा। अन्य सभ्यतायें इसाई सभ्यता के साथ होगी। यह सिद्धान्त भारत के लिये विशेष रूप से प्रासंगिक है। हटिंग्टन ने भारत के लिये अलगाववादी स्थिति की कल्पना की थी, क्योंकि यह देश न



तो मुस्लिम है और न ही क्रिश्चियन। उनकी मूलभूत विचारधारा यह है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकीय अर्थ में आधुनिकीकरण की ताकतें तथा इनके परिणामस्वरूप ग्लोबल नीतियों से उत्पन्न प्रवृत्तियों के कारण सामूहिक पहचान के रूप में लोगों तथा देशों के पुर्नगठन की प्रक्रिया चलती है। समान धार्मिक और संस्कृति के लोग तथा देश परस्पर निकट आते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोग और देश दूर-दूर रहते हैं। विचारधारा और बड़ी ताकतों के साथ सम्बन्धों पर आधारित गुटों का स्थान अब संस्कृति और सम्यता के आधार पर बन रहे गुट ले रहे हैं। सांस्कृतिक, जातिगत, धार्मिक और सम्यता से जुड़ी पहचान के अनुरूप राजनीतिक सीमायें पुनः खींची जा रही हैं। सम्यताओं के बीच त्रुटिपूर्ण रेखायें, ग्लोबल राजनीति के संघर्षों की जड़ बनती जा रही है।

हटिंग्टन की इस अवधारणा की शांति अध्ययन के विचारकों एवं कार्यकर्ताओं ने तीखी अलोचना की। अगस्त 2001 में फिनलैण्ड ट्राम्पे में अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संघ के सम्मेलन में प्रतिनिधियों की एक राय थी की हटिंग्टन के मॉडल में जहाँ सम्यताओं के टकराव की बात की गयी है, उसके स्थान पर सम्यताओं के संवाद पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। नार्वे, डेनमार्क, फिनलैण्ड, स्वीडन के प्रतिनिधियों ने इस तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि विश्व में फैलते जातीय-धार्मिक संघर्षों पर अंकुश लगाने एवं उनके समाधान के लिए राष्ट्रों के मध्य संवाद, अंतःक्रिया व सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संबन्धों के बदलते परिवेश में राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न भ्रांतियों, मिथकों एवं भय को मिटाने के लिए सामाजिक समस्याओं व उससे जुड़े मुद्दों पर खुली बहस होनी चाहिए ताकि शांति-वार्ताओं एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा उनके हल ढूँढ़े जा सकें।

कोपेनहेगेन समुदाय के मुख्य सिद्धान्तवादी बेरी बुजान ने सहयोग षील मॉडल को विकसित किया। उनका मानना है कि जबतक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक एक समग्र सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह मॉडल राज्यों के उद्देश्यों में पारदर्शिता उनके मान्यताओं के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता एवं स्थानीय झगड़ों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित है। सहयोगशील सुरक्षा मॉडल को यदि सम्पूर्ण अर्थ में देखा जाए तो समस्याओं के समाधान के लिए यह राज्यों से एक संयुक्त रणनीति के निर्माण की अपेक्षा करता है, परन्तु इस मॉडल के साथ सबसे व्यावहारिक समस्या यह है कि राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक अविश्वास और भय को कैसे दूर किया जाय?

वर्तमान सदी में विश्व के सामने वैश्विक तापन,

नाभिकीय अस्त्रों एवं हथियारों की होड़, उग्र-राष्ट्रवाद, धार्मिक उग्रवाद एवं गरीबी तथा असमानता जैसी नवीन सुरक्षा चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों को दूर करने में बेरी बुजान का मॉडल कुछ हद तक सफल हो सकता है।

इसके अतिरिक्त सिक्किम के पूर्व राज्यपाल, भारत सरकार के संस्कृति सचिव एवं गृह सचिव तथा वाशिंगटन डी. सी. स्थित विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं राजदूत रहे वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए 'बहुधा दृष्टिकोण की वकालत की है' उनका मत है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पतन से बचाने के लिए यह मॉडल कारगर होगा, जो विश्व को बेहतर बनाने का कार्य करता है और ऋग्वेद की इस उक्ति पर आधारित है -

'एकम् सद्विप्रः बहुधा वदन्ति'

(सत्य एक है विद्वान इसे विविध रूप में कहते हैं)

यह अवधारणा एक चिरकालिक वास्तविकता एवं निरंतरता को दर्शाती है - समाज में सामंजस्य तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए संवाद। यह दृष्टिकोण विविधता के पर्व के साथ-साथ मस्तिष्क की प्रवृत्ति है जो दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का आदर करती है। लोकतंत्र तथा बातचीत इस दृष्टिकोण के मुख्य बिन्दु हैं।

बहुधा दृष्टिकोण प्रेरित मस्तिष्क की प्रवृत्ति को अपनाने का अर्थ है कि दूसरों को इस प्रकार सुने जैसे हमारा अपने परिवार के सदस्यों या मित्रवत् पड़ोसियों के साथ व्यवहार होता है वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी का मत है कि वैश्वीकरण तथा लोगों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में बहुधा दृष्टिकोण सामंजस्य की सार्वजनिक नीति का एक विकल्प प्रस्तुत करता है।

उनका यह भी कहना है कि हमें शांति की कला और विज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। शांति केवल युद्ध न होना ही नहीं है। शांति केवल उसी बृहद वातावरण में मजबूती से स्थापित हो सकती है, जहां अन्याय, असमानता और गरीबी को प्रभावी ढंग से दूर किया जाय तथा अभिव्यक्ति की आजादी एवं मानव जीवन की इज्जत हो। इसके लिए अधिक मुखर और समन्वित प्रयास की जरूरत है, जिसमें प्रबुद्ध नागरिक, संस्कृति एवं धार्मिक नेता, पर्यावरणीय आंदोलन, शांति, शोध एवं संघर्ष सुलझाने के लिए शैक्षणिक संसार, संयुक्त राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीयवादी जनमत एवं मीडिया के प्रगतिवादी अंगोय इन सभी के साथ आना होगा। ये सभी ताकतें जब तालमेल से काम करेंगी तो शांति के लिए वैश्विक प्रयास को बल मिलेगा। हमारे इतिहास में इस समय 'सम्यताओं के संघर्ष' एवं बहुधा के बीच चुनाव करना है।

यह सत्य है कि जब तक वैश्विक स्तर पर कोई केन्द्रीय संगठित प्राधिकार अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक



विश्व व्यवस्था एक निर्धारित स्वरूप को पाने की दिशा में प्रयत्नशील है। इस हेतु बहुधा दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक प्रतिमान हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो०बी०एम०जैन अंतरराष्ट्रीय संबंध।
2. Dubey, M.P. : Man Nature & Society, Vol-2, April 2002, p. 2.
3. Gaddis, John Lewis : United States and the end of Cold War, Oxford University Press, New York, 1992, p. 149.
4. सैम्युअल पी हटिंग्टन : दी लोनली सुपर पावन फारेन अफेयर्स, मार्च –अप्रैल 1993.
5. सैम्युअल पी हटिंग्टन : सम्यताओं का टकराव फारेन अफेयर्स 1993.
6. दीक्षित, जे०एन० : भारतीय विदेशनीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पे० 356–357.
7. सिंह, वाल्मीकी प्रसाद, 21 वीं सदी, भू-राजनीति, लोकतंत्र, शांति।
8. बहुधा दृष्टिकोण या मॉडल के लिए देखे – The 21st Century Geo-Politics Democracy and Peace, Rutledge Publication.
